



2026:AHC:50379

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9190 वर्ष 2026

प्रेम शंकर

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अमित प्रकाश उपाध्याय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विरोधी पक्ष को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील निज़ामाबाद, ज़िला आजमगढ़ को निर्देश दिया जाए कि वे यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत आने वाले वाद संख्या 2943 वर्ष 2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202415060202943) (प्रेम शंकर बनाम रामराजी) का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि यू.पी. राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत प्रस्तुत एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस चरण पर, यू.पी. राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख

WRIC सं. 9190/2026

2

करना उचित और उपयुक्त होगा, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी को उसका निपटारा एक समय-सीमा के भीतर, और वह भी पूरी तरह से कानून के अनुसार ही करना होगा। यू.पी. राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7),

“(7) तहसीलदार यह प्रयास करेगा कि नामांतरण के निर्विवाद प्रकरण का निस्तारण वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिवस की अवधि के भीतर तथा विवादित नामांतरण प्रकरण का निस्तारण 90 दिवस की अवधि के भीतर कर दिया जाए; और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उसके कारणों का अभिलेखन किया जाएगा।”

5. उक्त प्रावधान के प्रतिकूल होने के बावजूद तथा पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आवेदन पर विचार करें तथा उसे उसके गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुरूप यथाशीघ्र निस्तारित करें यह भी अपेक्षित है कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाए तथा अनावश्यक स्थगन (adjournment) न दिया जाए, जब तक कि कोई विधिक बाधा (legal impediment) न हो।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

11 मार्च, 2026

स्वाति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।